



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267285
CG-DL-E-31102025-267285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4781]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947

No. 4781]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4932(अ).— केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री डी. आनंदन, अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का पद धारित किए जाने अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-3/2025-यू1ए]

रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

S.O. 4932(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 5 read with clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri D. Anandan, Additional Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance as a Member of the University Grants Commission, with immediate effect, for a term of three years or until he holds the office of Additional Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance or until further orders, whichever is the earliest.

[F.No.7-3/2025-U1A]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.